FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

हेमाराम बनाम श्रीतमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० अधि० 111,128 नं. 95 सन 2020 RLR Act

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/6/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 15/6/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
15.6.2020	प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत लगते आए हुए हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच जो पुरानी मेढ़ एवं कांटा आए हुए हैं। वह आंधियों की वजह से बिखर गए है। इसलिए प्रार्थी को अपने खेत के मेढ़ों का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी को अपने मेढ़ों का सही ज्ञान ... प्रार्थी को अपने खेत की पत्थरकी निशानदेही करवाने के लिए अपने खेत की पत्थरकी निशानदेही करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का निशानदेही आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी के खेत का निशानदेही आदेश किया जाए। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी की निशानदेही आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार बायतु को कार्यवाही कर सम्बन्धित भू. अ. निरीक्षक को ... [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:57:51 IST
Reason: SelfAttested

नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमीशन से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पैमाइश नियमानुसार मौके पर कमीशन शुल्क 500/- जमा कराकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुदा हो पूर्व नम्बर से कायम हो, दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

15.6.2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:37:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

/वाद/2020/ 417 दिनांक– 15/6/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. हेमाराम पुत्र हिमथाराम जाति जाट निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. श्रीरामाराम पुत्र टिकमाराम वगैरा निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 95/20

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा बायतु भोपजी पटवार हल्का बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 925/337 रकबा 0.0081 हैक्टयेर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधिंत भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/वाद/2020/ 418–422 दिनांक:– 15/6/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी बायतु भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हेमाराम
4. विप्रार्थीगण श्रीरामाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा/बायतु/नागाणा ।

15.6.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:37:51 IST
Reason: SelfAttested